"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक 56/04/निर्वा. संचा./2005/1104.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश क्रमांक 76/छ. ग. वि. स./2003/2812 दिनांक 07 जुलाई 2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

बी. एल. अग्रवाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निवार्चन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई 2005—16 आषाढ़ 1927 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2003.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है :

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है :

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है :-

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	45-धरसींवां	केशव राम निषाद, ग्राम सड्डू, पो. तरपोंगी, तह. तिल्दा, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	-वही-	-वही-	गजेन्द्र नायक, मकान नं. 129, ग्राम बरबंदा, वि.ख. धरसींवां, तह. व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	-वही-
3.	-वही-	-वही-	नारद प्रसाद निषाद, ग्राम पठारीडीह, पो. उरला, तह. व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	-वही-
4.	-वही-	54-बसना	सुन्दर सिंह बरिहा, ग्राम कौड़िया, पो.-सुखीपाली, थाना-पिथौरा, तहसील व जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़.	-वही-
5.	-वही-	-वही-	क्षमानिधि मिश्रा, 15/2 गीतांजली नगर, रायपुर छत्तीसगढ़.	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	54-बसना	बिहारी भईया, ग्राम-भजपुरी, पोस्ट -भगतदेवरी, व्हाया- सांकरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
7.	-वही-	-वही-	राकेश कुमार, ग्राम मेमरा, पोस्ट-मेमरा, थाना-पिथौरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	-वही-
8.	-वही-	55-खल्लारी	रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम-पतेरापाली, पो.-वी.के. बाहरा, थाना-बागबाहरा, तह. व जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़.	-वही-
9.	-वही-	-वही-	संतराम, ग्राम पो.-मदरसी, व्हाया बागबाहरा, तह. व जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़.	-वही-
10.	-वही-	-वही-	डॉ. चंद्रकांत शर्मा, बस स्टैंड साकिन मुनगासेर, विकासखण्ड-बागबाहरा, तह. व जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़.	-वही-
11.	-वही-	-वही-	रेखराम बाघ (बकमावाले), ग्राम बकमा, पो. बकमा, थाना बागबाहरा, छत्तीसगढ़.	-वही-
12.	-वही-	56-महासमुंद	फजल हुसेन पाशा, ग्राम-सिनोधा, पो. पटेवा, तह. व जिला महासमुंद छत्तीसगढ़.	-वही-
13.	-वही-	-वही-	सुरेश कुमार, श्याम नगर, रायपुर ग्रामीण छत्तीसगढ़.	-वही-
14.	-वही-	-वही-	इतवारी राम, बरौडाबाजार पो. बरौडाबाजार, तहसील व जिला महासमुंद छत्तीसगढ़.	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	56-महासमुंद	देवप्रसाद केलकर, ग्राम-बरेकेल कला पो. नरतोरा, थाना पिथौरा तहसील व जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
16.	-वही-	-वही-	प्रवीण कुमार ठाकुर साकिन पुरानी बस्ती वार्ड नं. 13, महासमुंद, तहसील व जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़.	-वही-

आदेश से,

हस्ता./-
(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 7th July 2005—16 Asadha, 1927 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2003.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table :

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said faliure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

S. No. (1)	Particular of election (2)	S. No. & Name of Assembly Constituency (3)	Name & Address of contesting candidate (4)	Reason for disqualification (5)
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembl, 2003.	45-Dharsiwa	Keshav Ram Nishad Vill.-Saddu, P.O.-Tarpongi, Tah.-Tilda, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003.	45-Dharsiwa	Gajendra Naik, Qr. No. 129, Vill.-Barbanda, Block-Dharsiwa, Distt.- Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
3.	-Do-	-Do-	Narad Prasad Nishad, Vill.-Patharidih, P.O.-Urla, Tah./Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	-Do-
4.	-Do-	54-Basna	Sundar Singh Bariha, Village-Kaodiya, Post-Sukhipali, Thana-Pithora, Distt.- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
5.	-Do-	-Do-	Kshamanidhi Mishra, 15/2 Gitanjali Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	-Do-
6.	-Do-	-Do-	Bihari Bhaiya, Village-Bhajpuri Post-Bhagatdeori, Via.-Sankra, Distt.-Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
7.	-Do-	-Do-	Rakesh Kumar, Village-Memra, Post-Memra, Thana-Pithora, Distt.- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
8.	-Do-	55-Khallari	Ramesh Singh Thakur, Village-Paterapali, Post-B. K. Bahra, Thana-Bagbahara, Tahsil & District-Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
9.	-Do-	-Do-	Santram, Village & Post-Bhadrasi, Via-Bagbahra, Tahsil & District-Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
10.	-Do-	-Do-	Dr. Chandrakant Sharma, Bus Stand, Village-Mungasher, Block-Bagbahra, Tah. & District- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly-2003.	55-Khallari	Rekh Ram Bagh (Bakmawale), Village-Bakma, Post-Bakma, Thana-Bagbahra, District- Mahasamund, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
12.	-Do-	56-Mahasamund	Fazal Hussain Pasha, Village-Sinodha, Post-Patewa, Tahsil & District- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
13.	-Do-	-Do-	Suresh Kumar, Shyam Nagar, Raipur Village- Chhattisgarh.	-Do-
14.	-Do-	-Do-	Itwari Ram, Barondabazar, Post-Barondabazar, Tahsil & District- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
15.	-Do-	-Do-	Dev Prasad Kelkar, Village-Barekelkala Post-Nartora, Thana-Pithora, Tahsil & District- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-
16.	-Do-	-Do-	Praveen Kumar Thakur, Village-Purani Basti, Ward No.13, Mahasamund, Tahsil & District- Mahasamund, Chhattisgarh.	-Do-

By Order,

Sd/-

(S. K. Kaura)

Secretary,

Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.